

न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड

मध्यप्रदेश

(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहार वाद क.26 ए/2015

संस्थापित दिनांक 22/06/2009

फाईलिंग नम्बर 230303000712009

- 1 शत्रुघन पुत्र वदनसिंह,
आयु 56 वर्ष, जाति—ठाकुर, निवासी ग्राम एन्हो
परगना—गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... वादी

बनाम

1. पंचम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह आयु 50 वर्ष
जाति—ठाकुर निवासी ग्राम एन्हो
परगना—गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. शान्तिदेवी मृत द्वारा वारिसान—
 - (1) राकेश सिंह आयु 45 वर्ष
 - (2) जबरसिंह आयु 40 वर्ष
 - (3) विनोद सिंह आयु 31 वर्ष
 - (4) श्रीमती बिटोला पुत्री प्रहलादसिंह आयु 33 वर्ष
समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम एन्हो
परगना—गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
3. म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय भिण्ड
4. धर्मसिंह पुत्र जगदीश सिंह आयु 24 वर्ष जाति गुर्जर
ठाकुर निवासी ग्राम एन्हो तह0 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
5. जबरसिंह पुत्र फतेह सिंह आयु 70 वर्ष
6. बलवीर सिंह पुत्र मेवाराम सिंह आयु 32 वर्ष जाति
गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम कीरतपुरा तह0 गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

..... प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधि0श्री राघवेन्द्र पवैया ।
प्रतिवादी क0 1, 4, 5 व 6 द्वारा अधि0श्री शिवनाथ शर्मा ।
प्रतिवादी क 03 पूर्व से एकपक्षीय ।
प्रतिवादी क. 2 (1) लगायत (4) पूर्व से एकपक्षीय ।

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 11/09/2017 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम एन्हो परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 604 रकवा 0.18 सर्वे क0 605 रकवा 0.44 कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर के 1/2 भाग की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम एन्हो में स्थित भूमि सर्वे क्र० 389 रकवा 0.41, सर्वे क्र० 572 रकवा 1.23, सर्वे क्र० 605 रकवा 0.41, सर्वे क्र० 1444 रकवा 0.48, सर्वे क्र० 2026, सर्वे क्र० 1833 रकवा 0.26 के 1/2 भाग का वादी स्वत्व व आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि के वर्ष 2008-09 के खसरे एवं किश्तबंदी खतौनी वादी ने दिनांक 19.05.09 को तहसील गोहद से प्राप्त की थी। उक्त भूमि प्रकरण में विवादित है। भूमि सर्वे क्र० 1184 रकवा 0.42, सर्वे क्र० 1185 रकवा 0.31, सर्वे क्र० 1186 रकवा 0.40, सर्वे क्र० 1208 रकवा 0.50 के खसरे एवं किश्तबंदी खतौनी की नकल भी वादी ने दिनांक 19.05.09 को प्राप्त की थी जिसमें वादी का हिस्सा 39/158 है। उपरोक्त भूमियां शामिल होती हैं जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 है। प्रतिवादी क्र० 1 ने अवैधानिक रूप से वादी के हक को मारने के लिए सर्वे क्र० 604 रकवा 0.18 एवं सर्वे क्र० 605 रकवा 0.44 का विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के दिनांक 25.05.19 को प्रतिवादी क्र० 2 के हक में कर दिया है जो डिक्री निरस्त हो गई थी उसके पूर्व अधिकार विहीन डिक्री के आधार पर नामांतरण किया गया था तथा दिनांक 25.05.11 को गलत रूप से बैनामा किया गया है। उक्त नामांतरण की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार गोहद के समक्ष प्रकरण क्र० 61/11-12 अ-6 पर संचालित हुई थी जिसके लिए न तो विधिवत इशतहार जारी किया गया था और ना ही वादी की आपत्ति की सुनवाई की गई थी तथा बिना साक्ष्य लिए ही दिनांक 20.03.13 को आदेश पारित कर दिया गया था। वादी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध एसडीओ गोहद के समक्ष अपील की गई थी एवं अपील में आदेश दिनांक 20.03.13 को स्थगित किया गया था। आदेश दिनांक 20.03.13 वादी के मुकाबले शून्य है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा व्य० वाद क्र० 144/2000 ई०दी० में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2000 निरस्त हो चुका है अतः उक्त निर्णय के आधार पर किए गए नामांतरण एवं विक्रय पत्र वादी के मुकाबले शून्य है। उक्त भूमि में प्रतिवादी क्र० 1 ने बगैर कोई बंटवारा कराए वादी का हक समाप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्र० 2 के हक में विक्रय पत्र का निष्पादन कर दिया है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 वादी के मुकाबले शून्य है। वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने ताऊ जितवार सिंह से बैनामा कराया गया था। वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजों की जमीन थी जिसमें वादी का जन्मजात हक रहा है। प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा अधिकार विहीन विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया है। प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा वादी का हिस्सा भी विक्रय कर दिया गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि स सर्वे क्र० 604 रकवा 0.18 सर्वे क्र० 605 रकवा 0.44 का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 एवं विक्रय पत्र दिनांक 20.05.11 वादी के मुकाबले शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करे।

3. प्रतिवादी क्र० 1 एवं 2 द्वारा वाद का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा खसरा एवं किश्तबंदी की वर्ष 2008-09 की नकलें कम्प्यूटर में मिसप्रिंट होने से प्राप्त की गई हैं। वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की नहीं है। वादी का उक्त सर्वे क्रमांको पर कोई हिस्सा नहीं है। सर्वे क्र० 604 रकवा 0.18 प्रतिवादी क्र० 1 के नाम से है वर्ष 2008 एवं 2009 की किश्तबंदी खतौनी में क्र० 141 पर वादी के नाम का कोई खाता नहीं है। वादी द्वारा सहखातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी क्र० 1 ने अपने स्वामित्व के सर्वे क्र० 604 रकवा 0.18 एवं सर्वे क्र० 605 रकवा 0.44 कुल रकवा 0.62 का बैनामा प्रतिवादी क्र० 2 के हक में विधिवत पूर्ण प्रतिफल लेकर किया है जिस पर प्रतिवादी क्र० 2 की खेती हो रही है। वादग्रस्त भूमि शामिल नहीं है अतः बंटवारे की कोई आवश्यकता नहीं थी। पटवारी मोजा द्वारा कम्प्यूटर में सही इंड्राज किया गया है एवं कोई छलकपट नहीं किया गया है।

वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त भूमि पूर्वजों से प्राप्त करने के संबंध में अथवा क्रय करने के संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादी का जन्मजात हक नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र० 1 की एकाकी भूमि थी जिसे विक्रय करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त था प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि विधिवत प्रतिवादी क्र० 2 को विक्रय की गई है। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी द्वारा सही तथ्यों को छिपाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कई मामले चले हैं। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. प्रतिवादी क्र० 4, 5, 6 द्वारा वादप्रश्न का खंडन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा वर्ष 2008-09 की किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा कम्प्यूटर में मिसप्रिंट होने के कारण वादी ने दिनांक 19.05.09 को प्राप्त कर लिए थे। उक्त सर्वे क्र० वादी के स्वत्व व आधिपत्य के नहीं हैं। उक्त सर्वे क्रमांकों में वादी को कोई हिस्सा नहीं है बल्कि मौजा एन्हो के खाता क्र० 395 वर्ष 2008-09 किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा पंचशाला में उक्त सर्वे क्रमांक प्रतिवादी क्र० 1 के नाम से है। उक्त सर्वे क्रमांक वादी के स्वत्व व आधिपत्य के नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि शामिलाली नहीं है एवं उसमें वादी का हिस्सा $\frac{1}{2}$ भाग का नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र० 1 के पूर्ण स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। प्रतिवादी क्र० 1 ने अपने स्वत्व व आधिपत्य के सर्वे क्र० 572 रकवा 1.23 का विक्रय पत्र प्रतिवादी क्र० 4, 5, 6 के हित में किया है एवं कब्जा भी प्रतिवादी क्र० 4, 5, 6 को दे दिया है तभी से उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण की खेती हो रही है। वादग्रस्त भूमि शामिलाली नहीं है एवं कभी भी शामिलाली नहीं रही है इसलिए बंटवारे की कोई आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपीलिय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के आधार पर राजसव अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 के नाम का विधिवत इंद्राज किया गया है एवं उक्त इंद्राज के आधार पर प्रतिवादी क्र० 1 ने प्रतिवादी क्र० 4 लगायत 6 के हक में विक्रय पत्र संपादित किया है एवं विक्रीत भूमि का कब्जा प्रदान किया है। पटवारी मौजा द्वारा विधिवत सही इंद्राज कम्प्यूटर में किया गया है। प्रतिवादी क्र० 1 ने वैधानिक रूप से वादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रतिवादीगण के हक में किया है। वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादी भूमि सर्वे क्र० 604 रकवा 0.18 सर्वे क्र० 605 रकवा 0.44 है कुल रकवा 3 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम एन्हो परगना गोहद के $\frac{1}{2}$ भाग का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?
2. यदि हां तो क्या प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा प्रतिवादी क्र० 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 26.05.09 वादी के मुकाबले व्यर्थ एवं शून्य है?
3. क्या कब्जे की सहायता मांगे बगैर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के परन्तु के प्रकाश में पोषणीय है?
4. क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है?
5. सहायता एवं व्यय ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण**वाद प्रश्न क्रमांक-1**

5. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी बाबूसिंह वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वह ग्राम एन्हो में स्थित सर्वे क्र0 389 रकवा 0.41, सर्वे क्र0 572 रकवा 1.23 सर्वे क्र0 605 रकवा 0.41 सर्वे क्र0 1444 रकवा 0.48 सर्वे क्र0 2026 सर्वे क्र0 1833 रकवा 0.26 के 1/2 भाग का स्वत्वधारी है तथा सर्वे क्र0 1184, 1185, 1186 एवं 1208 के रकवा 39/158 भाग का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि में से सर्वे क्र0 604 एवं 605 रकवा 4.62 में उसका हिस्सा 1/2 था लेकिन प्रतिवादी क्र0 1 पंचम सिंह ने प्रतिवादी क्र0 2 के हक में गलत बैनामा कर दिया है। अतः उसने अपने हक की घोषणा करने एवं विक्रय पत्र को अपास्त कराने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्र0 1 ने पटवारी मौजा से साजिश करके पूरी जमीन अपने नाम कराकर बिना प्रतिफल के प्रतिवादी क्र0 2 के हक में बैनामा कर दिया है जबकि उक्त भूमि पर वादी का कब्जा है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी03 संवत् 2008-09 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी04 किशतबंदी खतौनी प्र0पी05 एवं प्र0पी06 तथा वर्ष 2008-09 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी07 भूअधिकार ऋणपुस्तिका प्र0पी08 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.11.09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी09 प्रकरण में प्रस्तुत की है।

6. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 5 में उक्त साक्षीने व्यक्त किया है कि वादग्रस्त जमीन सर्वे क्र0 604 एवं 605 उसके शामिल खाते की है उक्त शामिल खाता करीब 40 साल से चला आ रहा है बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्र0 604 का सर्वे क्र0 552 था एवं 605 का सर्वे क्र0 उसे नहीं मालूम है इस दावे में सर्वे क्र0 604 एवं 605 का विवाद है। पद क्र0 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी08 की ऋणपुस्तिका में सर्वे क्र0 605 का कोई उल्लेख नहीं है। पद क्र0 8 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह नहीं बता सकता कि प्र0पी09 में विवादित सर्वे क्र0 604 एवं 605 का कही भी कोई उल्लेख नहीं है।

7. वादी साक्षी जयकरन सिंह तोमर वा0सा02 एवं भीकाराम शर्मा वा0सा03 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं।

8. प्रतिवादी पंचम सिंह प्र0सा01 द्वारा वादी के अभिवचनों का खंडन करते हुए अभिवचनित किया है कि वह सर्वे क्र0 604 रकवा 0.18 एवं सर्वे क्र0 605 रकवा 0.44 कुल रकवा 3 बीघा 2 विस्वा का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी था एवं राजस्व अभिलेखों में भी उक्त भूमि उसके नाम इंद्राज थी उसे रूपयों की आवश्यकता थी इसलिए उसने उक्त सर्वे क्रमांकों की भूमि पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के बाद शान्तिदेवी को विक्रय कर दी थी। विक्रय पत्र करने के पूर्व वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा था तथा विक्रय पत्र दिनांक से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र0 2 शान्तिदेवी की खेती हो रही है। वादी का वादग्रस्त सर्वे क्रमांक से कोई संबंध नहीं रहा है। कम्प्यूटर में मिसप्रिंट होने के कारण वादग्रस्त सर्वे क्र0 पर वादी का नाम अंकित हो गया है एवं उक्त आधार पर वादी द्वारा झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी पंचमसिंह प्र0सा01 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद के प्रकरण क्रमांक 144ए/2000 निर्णय दिनांक 31.07.2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी01 डिक्री प्र0डी02 वर्ष 2008-09 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी03 किशतबंदी खतौनी प्र.डी04 वर्ष

2008-09 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी05 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि प्र0डी01 के निर्णय के विरुद्ध प्र0 क्र0 17/2000 पर अपील संचालित हुई थी एवं उसे यह भी जानकारी नहीं है कि प्र0डी01 का निर्णय अपील में अपास्त कर दिया गया है।

9. प्रतिवादी जबरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह प्र0सा02 एवं जबरसिंह पुत्र फतेहसिंह प्र0सा03 ने भी प्रतिवादीगण के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

10. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है एवं प्रतिवादी द्वारा गलत रूप से वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया है जबकि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी शत्रुघ्न सिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह भूमि सर्वे क्र0 389 रकवा 0.41, सर्वे क्र0 572 रकवा 1.23 सर्वे क्र0 605 रकवा 0.41 सर्वे क्र0 1444 रकवा 0.48 सर्वे क्र0 2026 सर्वे क्र0 1833 रकवा 0.26 के 1/2 भाग का स्वत्वधारी है। उसने ग्राम एन्हो से खाते की नकलें प्राप्त की थी जिसमें उक्त सर्वे क्रमांको पर उसका हिस्सा 1/2 था एवं प्रतिवादी क्र0 1 ने उसके स्वत्व की भूमि सर्वे क्र0 604 एवं 605 कुल रकवा 0.62 गलत रूप से प्रतिवादी क्र0 2 को विक्रय कर दिया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्य का खंडन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2008-09 के खसरे में त्रुटि से उक्त सर्वे क्रमांकों पर वादी का नाम अंकित हो गया था जबकि वादी का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है।

12. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने वादपत्र में प्रारंभ में सर्वे क्र0 604 एवं 605 को वादग्रस्त बताया था तत्पश्चात वादी द्वारा संशोधन करके वादपत्र के पद क्र0 1 में वर्णित भूमि सर्वे क्र0 389, 572, 605, 1444, 2026, 1833 के 1/2 भाग को विवादित बताया है परंतु वादी द्वारा वादपत्र में सहायता के कॉलम में मात्र सर्वे क्र0 604 रकवा 0.18 एवं सर्वे क्र0 605 रकवा 0.44 के 1/2 भाग की स्वत्वघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि भूमि सर्वे क्र0 389 रकवा 0.41, सर्वे क्र0 572 रकवा 1.23, सर्वे क्र0 605 रकवा 0.41, सर्वे क्र0 1444 रकवा 0.48, सर्वे क्र0 2026 एवं सर्वे क्र0 1833 रकवा 0.26 के 1/2 भाग पर वर्ष 2008-09 के खसरे में उसका नाम अंकित था एवं उक्त आधार पर वह वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी शत्रुघ्न सिंह वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसने अपने ताउ जितवार सिंह से कय की थी परंतु ऐसा कोई विक्रय पत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका जन्मजात हक है परंतु वादी द्वारा प्र0पी04 एवं प्र0पी05 के खसरे के अतिरिक्त ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 604 एवं 605 वादी एवं उसके पूर्वजों के स्वत्व की थी तथा ऐसा भी कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा जितवार सिंह से कय की गई थी।

13. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा खसरे खतौनी के अतिरिक्त जो प्र0पी08 की भूअधिकार पुस्तिका अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है वह विवादित भूमिसर्वे क्र0 604,

605 एवं सर्वे क्र० 389, 572, 1444, 2026, 1833 से संबंधित नहीं है। प्र०पी००८ की भूअधिकार पुस्तिका में उक्त सर्वे क्रमांकों का उल्लेख नहीं है। वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्र०डी००१ का निर्णय अपील में अपास्त हो चुका था एवं प्रतिवादी द्वारा उसके पश्चात भी अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण क्र० [144ए/2000](#) निर्णय दिनांक 31.07.2000 प्र०डी००१ वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 389, 572, 604, 605, 1444, 2026, 1833 से संबंधित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने वादपत्र में भूमि सर्वे क्र० 389, 572, 605, 1444, 2026, 1833 को विवादित बताया है परंतु वादी शत्रुघ्न वा०सा००१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि वादग्रस्त जमीन का सर्वे क्र० 604 एवं 605 है। वादी शत्रुघ्न वा०सा००१ द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि सर्वे क्र० 604 एवं 605 पर उसका खाता 40 वर्षों से चला आ रहा है परंतु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्र०पी००८ की भूअधिकार ऋण पुस्तिका एवं प्र०पी००९ का अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.11.09 वादग्रस्त सर्वे क्र० से संबंधित नहीं है।

14. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा मात्र वर्ष 2008 एवं 2009 के खसरे प्र०पी००४ एवं प्र०पी००५ के आधार पर वादग्रस्त भूमि उसके स्वत्व व आधिपत्य की होना बताया है एवं प्रतिवादी पंचमसिंह प्र०सा००१ का कहना है कि कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण प्र०पी००४ एवं प्र०पी००५ के खसरे एवं किशतबंदी खतौनी में वादग्रस्त भूमि के [1/2](#) भाग पर वादी का नाम अंकित हो गया था। प्रतिवादी द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में वर्ष 2008-09 की किशतबंदी खतौनी प्र०डी००३ एवं वर्ष 2009-10 की किशतबंदी खतौनी प्र०डी००४ तथा वर्ष 2008-09 का खसरा प्र०डी००५ प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें वादग्रस्त भूमि पर मात्र प्रतिवादी पंचमसिंह का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत मात्र प्र०पी००४ एवं 5 के खसरे के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वत्वधारी नहीं माना जा सकता है।

15. जहां तक वादी साक्षी जयकरन सिंह तोमर वा०सा००२ एवं भीकाराम शर्मा वा०सा००३ के कथन का संबंध है तो जयकरन सिंह तोमर वा०सा००२ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि उसे नहीं मालूम कि विवादित भूमि का मामला कितने बीघा जमीन का है तथा उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था एवं उसे नहीं मालूम कि विवादित जमीन का विक्रय पत्र किसने किसके हक में किया था। इस प्रकार जयकरन सिंह तोमर वा०सा००२ के उक्त कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी को वादग्रस्त विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है एवं उक्त साक्षी ने मात्र वादी के कहने से शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जहां तक भीकाराम शर्मा वा०सा००३ के कथन का प्रश्न है तो भीकाराम शर्मा वा०सा००३ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर शान्तिबाई का कब्जा है जबकि वादी शत्रुघ्न वा०सा००१ का कहना है कि वादग्रस्त भूमि पर वह खेती कर रहा है इस प्रकार उक्त बिंदु पर वादी शत्रुघ्न वा०सा००१ एवं भीकाराम शर्मा वा०सा००३ के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः भीकाराम शर्मा वा०सा००३ के कथन भी विश्वासयोग्य नहीं है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वर्ष 2008-09 के खसरे खतौनी प्र०पी००४ एवं प्र०पी००५ में वादग्रस्त भूमि के [1/2](#) भाग पर उसका नाम स्वत्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में अंकित है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2008-09 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी००३ एवं प्र०डी००५ प्रकरण में प्रस्तुत की गई है जिसमें वादग्रस्त भूमि पर अकेले प्रतिवादी पंचमसिंह का नाम अंकित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मात्र राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि होने से स्वत्व प्रमाणित नहीं

होता है। वादी द्वारा प्र0पी05 एवं प्र0पी06 के खसरो के अतिरिक्त जो प्र0पी08 की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका एवं प्र0पी09 का आदेश प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है वह वादग्रस्त भूमि से संबंधित नहीं है वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रकरण क्र0 144ए/2000 में पारित निर्णय माननीय अपील न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आधार पर वादग्रस्त भूमियों का विक्रय किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में 144ए/2000 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त निर्णय वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 604, 605 एवं सर्वे क्र0 389, 572, 1444, 2026 तथा 1833 से संबंधित नहीं है। वादी शत्रुघन द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर 40 वर्षों से उसका कब्जा है परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. वादी ने वादग्रस्त भूमि अपने स्वत्व व आधिपत्य की होना बताया है परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि उसके पूर्वजों की भूमि होना एवं तारु जितवार सिंह से कय करना बताया है परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध में भी कोई दस्तावेज, विक्रय पत्र, खसरा, खतौनी आदि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जो तथ्य दस्तावेज से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही साबित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है एवं वादी का वादग्रस्त भूमि पर लंबे समय से आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का वादी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है।

18. इस प्रकार समग्र अवलोकन से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 604 रकवा 0.18 सर्वे क्र0 605 रकवा 0.44 कुल रकवा 3 बीघा 2 विस्वा के 1/2 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-2

19. उक्त वादप्रश्न निष्कर्ष वाद प्रश्न कमांक 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क्र01 के निष्कर्ष अनुसार वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 604 रकवा 0.18 एवं सर्वे क्र0 605 रकवा 0.44 कुल रकवा 3 बीघा 2 विस्वा के $1/2$ भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी क्र01 द्वारा प्रतिवादी क्र0 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 वादी के मुकाबले शून्य है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-3

20. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने प्रकरण में कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है। अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।

21. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है एवं वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामिल होती है। इस प्रकार वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त आधिपत्य है एवं उसकी शामिल होती खेती हो रही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी ने उसका प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त आधिपत्य होना अभिवचनित किया है। ऐसी स्थिति में वादी को पृथक् से कब्जा वापसी की सहायता मांगना आवश्यक नहीं था। अतः प्रस्तुत वाद कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण अप्रचलनशील नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

वाद प्रश्न कमांक-4

22. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 के प्रतिफल के आधार पर वाद का मूल्यांकन नहीं किया गया है एवं न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है जबकि वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

23. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 को शून्य घोषित कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 में पक्षकार नहीं है इसलिए वादी को विक्रय पत्र दिनांक 25.05.09 के आधार पर वाद का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी। वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्वघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 (4) (सी) के अनुसार “घोषणात्मक डिक्री या आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है वहां वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा।”

24. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की स्वत्वघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के लगान के 20 गुने के आधार पर वाद का मूल्यांकन कर तदानुसार स्वत्वघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

सहायता एवं व्यय

25. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

26. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जायेगा।

27. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक – 11/09/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)